फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी वनाम अप्रार्थीगण वगैरह

गणपतराम **रूपाराम**

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नं. 32/2016

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
14/03/16	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपटित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी के तहत वकील श्री शिवकुमार पाराशर ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बावत् निवेदन किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे आगामी आदेश तक मौजा छापडा के विवादित खसरा नं. 735 रकबा 11.18 बीघा के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु डाक खर्च मय लिफाफा पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 04.04.2016 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)	
4/4/16	वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी क्र. 1 से 5 की ओर से वकील बद्रीराम ढाका ने वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु समय चाहते है। स्थगन आदेश की अवधि आगामी तारीख पेशी तक बढाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र एवं तलबी अप्रार्थी क्र. 6, 7 हेतु दिनांक 2/5/16 को पेश हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश
14-5-18	प्रा.वाद सं. 32/16 ग्रा.पं.नारायणपुरा/S उपखण्ड [illegible] प्रशासन गांव के संग शिविर में पत्रावली आज केम्प कठौती में पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो पत्रावली पर अप्रार्थी सं. 01 का जवाब पाया कि [illegible] में उपलब्ध है जो रेकार्ड पत्रावली पर [illegible] पत्रावली पर [illegible] राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा छापड़ा के खेत खसरा नं. 735 रकबा 11=18 बीघा अप्रार्थी नं. 01 से 05 के पिता मुकनाराम की खातेदारी में दर्ज है तथा जो तहसीलदार जायल की रिपोर्ट दि. 7-5-18 के अनुसार ख. नं. 735 पहले राजकीय भूमि थी जो नाकारा होने से संवत 2020 से 23 में अप्रार्थी सं. 01 से [illegible] के पिता मुकनाराम बावरी नि. [illegible] को अलोटमेंट कमेटी की राय से खातेदारी प्रदान की गई थी। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अलग-2 गांव व अलग-2 जाति से हैं। उक्त खेत बाबत पहले भी एक राजस्व प्रा.पत्र सं. 139/2011 अन्तर्गत चैनाराम/S गणपत दिनांक 26.10.13 को खारिज किया जा चुका है। दुबारा पेश प्रार्थना पत्र भी ख.नं. 735 व वही प्रकार है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा मौजा छापड़ा के खेत खसरा नम्बर 735 रकबा 11=18 [illegible] क्रमशः

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
प्रा.वाद सं. 32/16 ग्रा.पं.नारायणपुरा/S उपखण्ड पर जारी किया गया अन्तरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।	

Scanned by CamScanner